

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका०/पाठ्यक्रम/2019/243

दिनांक : 5/8/19

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा रसायन शास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2) एक	1. प्रो० आनंद हल्दे, आचार्य, 2. प्रो० एस०के० गुप्ता, आचार्य, 3. प्रो० राधा तोमर, आचार्य, 4. प्रो० एस०के० श्रीवास्तव, आचार्य, 5. प्रो० डी०डी० अग्रवाल, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।
28(2) दो	1. डॉ० (श्रीमती) बीना सिंह, प्राध्यापक, शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वालियर। 2. डॉ० स्वाति पेंडसे, सहा०-प्राध्यापक, पार्वतीबाई गोखले विज्ञान महा० ग्वालियर।
28(2) तीन	1. रिक्त।
28(2) चार	1. डॉ० ए०एस० गहलोट, प्राध्यापक, शा० पी०जी० कलेज, मुरैना। 2. डॉ० किरन बर्मन, प्राध्यापक, शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वालियर।
28(2) पाँच	1. रिक्त।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपति जी द्वारा प्रो० एस०के० गुप्ता को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है, इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2019 से तीन वर्ष तक रहेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. रसायन विज्ञान अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहायक कुलसचिव (अकादमी)